

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं मुकेश कुमार मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा ने प्रस्ताव का नाम :- जनपद मथुरा में "वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग (अ0जि0मा0) (चैनेज 6.000 से 20.100 कि.मी. व चैनेज 21.000 से 21.400 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 14.500 कि.मी.)" हेतु प्रभावित 3.1746 हैक्टे0 संरक्षित वन भूमि (परियोजना के प्रथम बिन्दु चैनेज 6.00 से चैनेज 6.200, चैनेज 7.050 से चैनेज 13.203, चैनेज 18.000 से 18.400 तक 3.1746 हैक्टे0 संरक्षित वन भूमि) के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आवेदित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/43570/2019 के सम्बन्ध में स्वयं दिनांक 23/7/2020 को मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्रस्तावक के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया है।

(मुकेश कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मथुरा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी व वनप्रभार
मथुरा।